प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.02.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 11.02.2025 की रात्रि लिकर होम क्लब हाउस वार में अन्दर जाने से रोकने पर गौरीशंकर एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में मारपीट व फायरिंग की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12.02.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की जरिए सूचना प्राप्त हुई कि गौरीशंकर एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन के रहने वाले सारिक उर्फ शोबी मलिक पुत्र हारुन निवासी गौरीशंकर एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन जिनका थाना कौशाम्बी क्षेत्र में लिकर होम के नाम से क्लब हाउस व वार है में दिनांक 11.02.2025 की रात्रि रिजवान पुत्र कलूआ चौहान निवासी गौरीशंकर एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद अपने साथी सलमान, तौसीन व अन्य एक साथी के साथ शराब पीने के लिये लिकर होम क्लब हाउस वार में अन्दर जा रहे थे। क्लब के मालिक सारिक उर्फ शोबी मलिक के द्वारा वार में जगह न होने के कारण वार के अन्दर जाने से मना किया गया इस बात पर वार के मालिक सारिक उर्फ शोबी मलिक व उसके पड़ोसी रिजवान व उसके अन्य साथियों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। रिजवान सारिक उर्फ शोबी मलिक को धमकी देकर वापस अपने घर गौरीशंकर एन्कलेव आ गया। क्लब मालिक सारिक उर्फ शोबी मलिक के रात्रि में घर आने पर दोनो पक्षों में रिजवान व उसके साथियों को वार में एन्ट्री न देने की बात को लेकर सारिक उर्फ शोबी मलिक पक्ष के सारिक उर्फ शोबी मलिक, फिरोज, फईम व 5-6 अन्य अज्ञात व्यक्ति व रिजवान पक्ष के रिजवान, सलमान, कबीर, कलुआ चौहान, तौसीन व अन्य 5-6 अज्ञात व्यक्तियों ने आपस में मारपीट गाली गलौच करते हुऐ मारपीट व एक दूसरे को डराने की नियर से फायरिंग की गई।

तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा 191(2),191(3),115(2),352,131,125,351(2),351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 13.02.2025 को उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त 1. सारिक उर्फ शोबी मलिक पुत्र हारून मलिक निवासी प्लाट न0 बी-286 जीएफ-2 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष, 2. फिरोज पुत्र महबूब आलम निवासी प्लाट न0 140 विक्रम एन्केलव थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को गौरीशंकर एन्कलेव गेट नं0-3 से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सारिक उर्फ शोबी मलिक व फिरोज के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त सारिक उर्फ शोबी मलिक व फिरोज से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि रिजवान पुत्र कलूआ चौहान निवासी गौरीशंकर एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद अपने साथी सलमान, तौसीन व अन्य एक साथी के साथ शराब पीने के लिये लिकर होम क्लब हाउस वार में अन्दर जा रहे थे। क्लब के मालिक सारिक उर्फ शोबी मलिक के द्वारा वार में जगह न होने के कारण वार के अन्दर जाने से मना कर दिया गया। इसी बात को लेकर दोनो पक्ष एक-दूसरे पर हमलावर होते हुऐ एक दूसरे पर डराने की नीयत से पथराव करते हुऐ हवाई फायरिंग की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सारिक उर्फ शोबी मलिक पुत्र हारून मलिक निवासी प्लाट न0 बी- 286 जीएफ-2 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।
2. फिरोज पुत्र महबूब आलम निवासी प्लाट न0 140 विक्रम एन्केलव थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त सारिक उर्फ शोबी मलिक व फिरोज के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर सिगरेट व तम्बाकू प्रतिषेध अधिनियम का 01 अभियोग व मारपीट, गाली गलौच का 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा 1,00,000/- रुपये की रंगदारी मागंना व रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.02.2025 को थाना खोड़ा पर वादी घनश्याम तिवारी पुत्र श्री प्रहलाद तिवारी निवासी बी - 169/4 इन्दिरा विहार खोड़ा जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि मेरा पुत्र वैभव तिवारी कक्षा 11 का छात्र है। वह घर से दिनांक 11.02.2025 की सांय को दूध देने के लिये मार्केट मे गया था। जिसके दोस्त 1. राजकुमार उर्फ बुल्ला पुत्र अखिलेश निवासी ग्राम महगमा थाना किशनी मैनपुरी हाल पता राज बिल्डर के पास शर्मा चौक प्रकाश नगर खोड़ा कॉलोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष, 2. राज गिरी पुत्र सन्तोष गिरी निवासी मौहल्ला पडैला थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर हाल पता हनुमान मंदिर के आगे वाला कट घढौली डेयरी फार्म फेश 3 दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष के द्वारा वादी के पुत्र वैभव तिवारी उपरोक्त को किसी काम से अपने पास बुलाकर 1,00,000/- रुपये मागंना व रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना खोड़ा पुलिस टीम धारा 308(5),115(2),351(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 12.02.2025 को वादी के पुत्र वैभव से 1,00,000/- रुपये की रंगदारी मांगना व रंगदारी न देने पर जान दे मारने की धमकी देने वाले 02 अभियुक्त 1.राजकुमार उर्फ बुल्ला पुत्र अखिलेश निवासी उपरोक्त, 2. राज गिरी पुत्र संतोष गिरी निवासी उपरोक्त को राणा चौक पीर मस्जिद वाली गली के पास थाना खोड़ा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार उर्फ बुल्ला पुत्र अखिलेश व राज गिरी पुत्र संतोष गिरी उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार उर्फ बुल्ला पुत्र अखिलेश व राज गिरी पुत्र संतोष गिरी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त राजकुमार उर्फ बुल्ला व राज गिरी वादी के पुत्र वैभव तिवारी के दोस्त है। वादी का पुत्र वैभव अपनी स्कूटी से दूध लेने के लिये मार्केट गया था अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र वैभव को फोन पर किसी काम से अपने पास बुलाया। दोनो अभियुक्तों ने वैभव से कहा की अपने घर से 1,00,000/- रुपये मांगकर हमे दे दो नही तो हम तुम्हे जान से मार देगे। वादी के पुत्र वैभव ने रुपये मांगने से मना कर दिया तो अभियुक्तों ने वादी के पुत्र वैभव के साथ मारपीट की और उसकी स्कूटी वापस देकर दोनो अभियुक्त वहा से चले गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. राजकुमार उर्फ बुल्ला पुत्र अखिलेश निवासी ग्राम महगमा थाना किशनी मैनपुरी हाल पता राज बिल्डर के पास शर्मा चौक प्रकाश नगर खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद उम्र करीब18 वर्ष।
2. राज गिरी पुत्र सन्तोष गिरी निवासी मौहल्ला पडैला थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर हाल पता हनुमान मंदिर के आगे वाला कट घढौली डेयरी फार्म फेश 3 दिल्ली उम्र 19 करीब वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार उर्फ बुल्ला पुत्र अखिलेश व राज गिरी पुत्र संतोष गिरी उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर रंगदारी व मारपीट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम

थाना निवाडी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गण गिरफ्तार।

दिनांक 09.02.2025 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा दी गई तहरीर कि अभियुक्तगण 1. मोहित शर्मा पुत्र नानक शर्मा 2. मोहित 3. गणेश पुत्र नामालूम व कलवा उर्फ भूरा निवासी ग्राम पूठरी व बंटी निवासी हरियाणा व कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी विनोद शर्मा पुत्र सुखपाल शर्मा निवासी उजैडा निवाडी गाजियाबाद के मकान पर बनी परचून की दुकान में घुसकर तमंचा, तलवार व लाठी से हमला करने के सम्बन्ध में धारा (2)351/(6)331/(3)191/(2)191/190/(2)115बीएनएस में एफआईआर पंजीकृत की गयी। जिसमें आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए थाना निवाडी पुलिस द्वारा अभियुक्त गण नानक शर्मा मोहित शर्मा पुत्र स्व0 (1) निवासी ग्रामउजैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद उम्र कुलदीप पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम (2) वर्ष 29 वर्ष 35 पूठरी थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद उम्र को घटना में प्रयुक्त एक अवैध देशी तमंचा व एक तलवार सहित गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।

आज दिनांक 13-02-2025 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गण 1. गणेश उर्फ मोहित पुत्र नरेश निवासी उजैडा थाना निवाडी गाजियाबाद 2. बन्टी पुत्र पवन निवासी हथवाला थाना समाला जिला पानीपत हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि जो पूर्व में जेल गये मोहित शर्मा व कुलदीप के साथ उस दिन हम भी थे। मोहित शर्मा के हाथ में तमंचा था व कुलदीप के हाथ में तलवार थी। मोहित शर्मा का प्रवीण चौधरी से पैसों के लेन-देन को लेकर झगडा था जिसमें प्रवीण चौधरी के भतीजे विनोद से मारपीट की थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. गणेश उर्फ मोहित पुत्र नरेश निवासी उजैडा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र 28 वर्ष

2. बन्टी पुत्र पवन निवासी हथवाला थाना समाला जिला पानीपत हरियाणा, उम्र 31 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

अभियुक्त गण के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 08.09.2024 को वादी श्री पंकज सिंह पुत्र विजय पाल सिंह निवासी 839 पंकज टेन्ट हाउस पसौंडा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर से मोबाइल चोरी कर लिया गया है तथा दिनांक 27.08.2024 को वादी सोनू चौधरी पुत्र श्री कमरुद्दी निवासी म0नं0 936 नियर ईदगाह गांव पसौंडा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर से मोबाइल फोन चोरी व 76,000/- रुपये चोरी कर लिया गया है। तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत

धराओं में अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 12.05.2025 को घर में घुसकर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त मो0 साऊद उर्फ सद्दा पुत्र मो0 जाहिद निवासी कुम्हारो वाला शिव मन्दिर के पास पसौंडा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को सिकन्दरपुर रोड निर्माणाधीन गौर प्रोजेक्ट के पास से थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त मो0 साऊद उर्फ सद्दा उपरोक्त के विरुद्ध धारा पूर्व में पंजीकृत अभियोग की धारा में 317(2) बीएनएस की बढ़ौत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मो0 साऊद उर्फ सद्दा से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.09.2024 को अम्बेडकर चौपाल के पास गांव पसौण्डा थाना टीलामोड़ से एक मोबाइल चोरी किया था तथा दिनांक 27.08.2024 की रात्रि को ईदगाह गांव पसौंडा थाना टीलामोड़ से एक मोबाइल फोन व 76,000/- रुपये चोरी किये थे। अभियुक्त मो0 साऊद उर्फ सद्दा द्वारा चोरी किये गये रुपयों को खाने पीने व अपने शौक में खर्च कर दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
मो0 साऊद उर्फ सद्दा पुत्र मो0 जाहिद निवासी कुम्हारो वाला शिव मन्दिर के पास पसौंडा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त मो0 साऊद उर्फ सद्दा के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।